न्यायालय– सिविल जज (सी०डि०), तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 117/2010
CIS No. :– TS/127/2019

कंचन देवी बनाम **रितेश कुमार मिश्रा एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
17.12.2021	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी द्वारा विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–3(a) ता 3(b) द्वारा अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–3 मोसम्मात अनिता देवी व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 अनुपस्थित। वादी की ओर से दिनांक–13.04.2021 का दैनिक जागरण समाचार पत्र दाखिल किया गया। जिसको अभिलेख पर रखा जाता है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया गया कि प्रतिस्थापित प्रतिवादी संख्या–3 मोसम्मात अनिता देवी को अभिलेख पर उपस्थिति के लिए समाचार पत्र (दैनिक जागदण) में नोटिस/सम्मन प्रकाशित कराये गये है। वादी द्वारा उक्त प्रतिवादी पर नोटिस/सम्मन का तामिला जरिये प्रकाशन माने जाने हेतु बल दिया गया। सुना अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि वादिनी द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिस्थापित प्रतिवादी संख्या–3 मोसम्मात अनिता देवी पर जरिये प्रकाशन पैरवी की गयी। परन्तु प्रतिस्थापित प्रतिवादी संख्या–3 मोसम्मात अनिता देवी की ओर से आज कोई उपस्थित नहीं है। समाचार पत्र प्रकाशन के रूप में अभिलेख पर समाचार दैनिक जागरण (दिनांक–13.04.2021) के पेज संख्या–4 पर छपकर उपलब्ध है। अत: जरिये प्रकाशन प्रतिस्थापित प्रतिवादी संख्या–3 मोसम्मात अनिता देवी पर नोटिस/सम्मन की तामिला पर्याप्त मानी जाती है। प्रतिवादी संख्या–3(a) ता 3(b) अभिलेख पर दिनांक–	

<u>लगातार</u> **17.12.2021**	10.02.2021 को अभिलेख पर उपस्थित आ चुके है। इनके द्वारा अभी तक बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया है। इनको बयान तहरीरी दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अभिलेख वास्ते प्रतिस्थापित प्रतिवादी संख्या–3 मोसम्मात अनिता देवी की उपस्थिति/प्रतिवादी संख्या–3(a) ता 3(b) के बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु दिनांक–20.01.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्यायालय कक्ष–4, नरकटियागंज।	